न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 597/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– रामाराम पुत्र सिमरथाराम 2– हुकमाराम पुत्र भीयाराम जतियान जाट निवासीगण ग्राम संतोषनाथपुरा दासनिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर		1– चुनाराम पुत्र भीयाराम 2– दुर्गाराम पुत्र भीयाराम 3– सेवाराम पुत्र भीयाराम जातियान जाट निवासीगण संतोषनाथपुरा दासानिया, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 122/2013 अनवान चुनाराम वगैरा बनाम दुर्गाराम मे दिनांक 20–9–2013 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 1 से 3 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 24–6–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या संख्या 1 चुनाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमि मौजा संतोषनाथपुरा पटवार क्षेत्र दासानिया के खसरा नंबर 60 रकबा 0.04 बिस्वा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा तथा खसरा नंबर 62 रकबा 0.05 बिस्वा, खसरा नंबर 58 रकबा 0.07 बिस्वा तथा खसरा नंबर 59 रकबा 12.19 बीघा भूमि होना बताते हुए उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 61 की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–9–2013 के द्वारा मौजा संतोषनाथपुरा पटवार क्षेत्र दासानिया के खसरा नंबर 60 रकबा 0.04 बिस्वा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा तथा खसरा नंबर 62 रकबा 0.05 बिस्वा, खसरा नंबर 58 रकबा 0.07 बिस्वा तथा खसरा नंबर 59 रकबा 12.19 बीघा भूमि भूमि मे तहसीलदार शेरगढ को 500/– शुल्क पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित कर दिये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान को सुना गया । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस मे दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि मौजा संतोषनाथपुरा पटवार क्षेत्र दासानिया के खसरा नंबर 84 का रेकर्डेड खातेदार है जो अपीलाधीन भूमि के सेढा पडोसी है परंतु अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुने बिना पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा नंबर 59 एवं 61 के सीमा विवाद है तो अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांट अपीलाधीन भूमि का पडौसी खातेदार होते हुए अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलधीन निर्णय पारित कर दिया जो न्याय से प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन भूमि के सभी पडौसी खातेदारो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिसम्मत पत्थरगढी के आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 चूनाराम पुत्र भीयाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12-6-2015 आदि का अवलोकन किया ।

अपीलांटगण की मौजा संतोषनाथपुरा पटवार क्षेत्र दासानिया के खसरा नंबर 84 की भूमि रेस्पो0 संख्या 1 की अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 60 रकबा 0.04 बिस्वा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा, खसरा नंबर 61 रकबा 12.09 बीघा तथा खसरा नंबर 62 रकबा 0.05 बिस्वा, खसरा नंबर 58 रकबा 0.07 बिस्वा तथा खसरा नंबर 59 रकबा 12.19 बीघा भूमि अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 84 से लगती हुई होना पत्रावली के सलग्न प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 30-6-2013 मे बनाये गये नक्शे से प्रकट है, । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि पत्थरगढी के मामले मे विधिवत पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना जांच एवं पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाकर उनको सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

परिणामस्वरूप अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20--9--2013 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट, रेस्पो0गण एवं अपीलाधीन भूमि से लगते अन्य पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौके की जांच करवाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 24--6--2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर